रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252548
CG-DL-E-01032024-252548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945
No. 954]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

का.आ. 999(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (पैनः-AAAGU0671E), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) सरकार से सहायता अनुदान या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों/ डेवलपर्स, एजेंटों या कोई अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/शास्ति;

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क; तथा

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण :-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलापों तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा क्रमश: वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 25 /2024/फा.सं. 300196/17/2021-आईटीए-I]

कास्त्रो जयप्रकाश टी.,अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

S.O. 999(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority' (PAN AAAGU0671E), an Authority constituted by the State Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;

(b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;

(c) Fee received under Right to Information Act, 2005; and

(d) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant for financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, respectively.

[Notification No. 25/2024/F. No. 300196/17/2021-ITA-I]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.01 22:04:58 +05'30'

SAG INFOTECH service begins here....